न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज सी0डि0,एफ.टी.सी., सोनभद्र
उपस्थितिः—राहुल,(उ.प्र.न्यायिक सेवा)जे0ओ0कोड—UP02553
मुकदमा नम्बर—10494 / 2020, मु.अ.सं.—492 / 2019,
राज्य बनाम बजरंगी केशरी,
धारा—3 / 25 आर्म्स एक्ट,
थाना—राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

**—: आरोप :—**

मैं, राहुल, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज सीनियर डिवीजन, एफ.टी.सी., सोनभद्र आप अभियुक्त **बजरंगी केशरी** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँः—

**प्रथमः—** यह कि दिनांक 06.08.2019 को समय 21.40 बजे, बहद स्थान दण्डइत बाबा मन्दिर के पास, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र में आपको पुलिस द्वारा पकड़ा गया तथा आपकी जामा तलाशी लेने पर आपके कब्जे से पहने पैंट की दांयी तरफ कमर में खुसा हुआ एक अदद कट्टा 315 तथा कारतूस बरामद किया गया, जिसको रखने का आपके पास कोई लाइसेंस नहीं था। इस प्रकार आपने आयुध अधिनियम की धारा—3 का उल्लंघन किया जो उपरोक्त अधिनियम की धारा—25 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांक 21.04.2025

(राहुल)
जे0ओ0कोड—UP02553
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट /
सिविल जज सी.डि.,एफ.टी.सी.,
सोनभद्र

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की मांग किया।

दिनांक 21.04.2025

(राहुल)
जे0ओ0कोड—UP02553
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट /
सिविल जज सी.डि.,एफ.टी.सी.,
सोनभद्र